न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी , रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

संख्या प्रार्थना पत्र –117 / 2025

अनवान

मोरध्वज उर्फ महेन्द्र सिंह पुत्र माधुलाल उर्फ माधु सिंह, जाति राजपूत, उम्र बालिग, निवासी ग्राम भैंसरोड़गढ़, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी / विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री जितेन्द्र कुमार राठौर अभिभाषक प्रार्थी
पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 21.01.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का, सणीता, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 56 की खसरा संख्या 313, 314 कुल किता 02 रकबा 1.7800 हैक्टर जो खाते मुझ प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम गोपालपुरा, प0ह0 सणीता की खाता संख्या 57 की खसरा संख्या 351, 352, 353 कुल किता 03 रकबा 1.0900 हैक्टर जो खाते मुझ प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम गोपालपुरा, प0ह0 सणीता की खाता संख्या 74 की खसरा संख्या 309, 310 कुल किता 02 रकबा 1.0800 हैक्टर जो खाते मुझ प्रार्थी व अन्य सहखातेदार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। पैरा संख्या 01 में वर्णित तीनों खातेदारी की आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबंदी नकल में मुझ प्रार्थी का नाम मोरध्वज व मेरे पिता का नाम माधुलाल लिखा हुआ है जबकि मुझ प्रार्थी के आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, टीसी में व अन्य सभी दस्तावेज में मुझ प्रार्थी का नाम महेन्द्र सिंह व मेरे पिता का नाम माधु सिंह लिखा हुआ है तथा मेरे पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में भी मेरे पिता का नाम माधु सिंह लिखा हुआ है। पैरा संख्या 01 में वर्णित तीनों खातेदारी की आराजीयात का विरासत का इंतकाल खुलवाते समय मेरे परिवारजनों ने राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थी का घर का तथा बचपन में पुकारे जाने वाला नाम मोरध्वज व मेरे पिता का घर का नाम माधुलाल लिखवा दिया था इसलिए मुझ प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में मोरध्वज पुत्र माधुलाल नाम दर्ज हो गया जबकि मुझ प्रार्थी का नाम सभी दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, टीसी आदि दस्तावेज में प्रार्थी का नाम महेन्द्र सिंह व पिता का नाम माधु सिंह लिखा हुआ है. इसलिए मेरे व मेरे पिता के नाम की इन्द्राज दुरूस्ती कर पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में मुझ प्रार्थी का नाम मोरध्वज उर्फ महेन्द्र सिंह व पिता का नाम माधुलाल उर्फ माधु सिंह किया जाना न्यायोचित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 12.01.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार ग्राम गोपालपुरा प0ह0 सणीता की आराजी संख्या 313, 314 कुल किता 2 रकबा 1.78ह0 भूमि एवं आराजी संख्या 351, 352, 353 कुल किता 3 रकबा 1.08ह0 भूमि मोरध्वज पिता माधुलाल के नाम सह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है व आराजी संख्या 309, 310 कुल किता 02 रकबा 1.08ह0 भूमि मोरध्वज पिता माधुसिंह के नाम सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त सभी आराजीयात में खातेदार व उसके पिता का नाम में भिन्नता होने से उपस्थित मौतबिरान से पूछताछ करने के उपरान्त उन्होने बताया कि मोरध्वज व महेन्द्रसिंह एवं माधुलाल व माधुसिंह एक ही व्यक्ति है जबकि ग्राम पंचायत भैंसरोडगढ के सरपंच द्वारा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र आधार कार्ड, पेनकार्ड, जन आधार कार्ड सभी सलंग्न दस्तावेजों में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम महेन्द्र सिंह पिता माधुसिंह दर्ज है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि खातेदार के नाम एवं पिता के नाम में अभिलेखीय भिन्नता है, जबकि प्रस्तुत पहचान दस्तावेजों एवं भौतिक सत्यापन के अनुसार प्रार्थी की पहचान महेन्द्र सिंह पिता माधुसिंह के रूप में प्रमाणित होती है।

उपखण्ड अधिकारी

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है कि ग्राम गोपालपुरा, पटवार हल्का, सणीता, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 56 की खसरा संख्या 313, 314 कुल किता 02 रकबा 1.7800 हैक्टर जो प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम गोपालपुरा, प0ह0 सणीता की खाता संख्या 57 की खसरा संख्या 351, 352, 353 कुल किता 03 रकबा 1.0800 हैक्टर जो प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम गोपालपुरा, प0ह0 सणीता की खाता संख्या 74 की खसरा संख्या 309, 310 कुल किता 02 रकबा 1.0800 में प्रार्थी का नाम मोरध्वज पिता माधुलाल दर्ज है, जबकि प्रार्थी का बोलता नाम गांव मे मोरध्वज है। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का असल नाम महेन्द्र सिंह पिता माधुसिंह होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम मोरध्वज पिता माधुलाल के स्थान पर मोरध्वज उर्फ महेन्द्र सिंह पिता माधुलाल उर्फ माधुसिंह करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया जाकर ग्राम गोपालपुरा प0ह0 सणीता की आराजी संख्या 313, 314 कुल किता 2 रकबा 1.78है0 भूमि एवं आराजी संख्या 351, 352, 353 कुल किता 3 रकबा 1.08है0 भूमि में प्रार्थी व प्रार्थी के पिता का नाम मोरध्वज पिता माधुलाल के स्थान पर मोरध्वज उर्फ महेन्द्र सिंह पिता माधुलाल उर्फ माधुसिंह दर्ज करने व ग्राम गोपालपुरा प0ह0 सणीता की आराजी संख्या 309, 310 कुल किता 02 रकबा 1.08है0 भूमि मे प्रार्थी का नाम मोरध्वज के बजाय मोरध्वज उर्फ महेन्द्र सिंह की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2026 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

21/01/26

(डॉ. कृति व्यास) आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़